निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या 64/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

विष्णु कुमार भारद्वाज पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय शर्मा, नं. 24, विला मारिया, द्वितीय तल, व्हीलर रोड, एक्सटेन्शन रोड, सेन्ट थॉमस टॉऊन, बैंगलोर

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर, कलक्ट्रेट, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय दिनांक 07.10.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 23.07.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर एडीएम उत्तर/जांच/2025/1423 दिनांक 04.07.2025 व बयानदर्ज दिनांकित 14.7.25 से संबंधित सूचनाएं चाही गई थी। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर, कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई, टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 2136 दिनांक 26.09.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का संबंध उप रजिस्ट्रार सप्तम, जयपुर से होने से कार्यालय के पत्रांक 2003 दिनांक 08.9.2025 से अंतरित कर दी गई थी। अंतरिती अधिकारी के विरूद्ध प्रथम अपील श्रवण क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी सक्षम स्तर पर प्रथम अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वस्तुस्थिति से संसूचित किए जाने के उपरांत प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
5. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
6. निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner